

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0----- पटना, दिनांक -

सरकार की राय में रबी विपणन मौसम, 2025-26 में राज्य के किसानों को अपनी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. रबी विपणन मौसम, 2025-26 अंतर्गत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य का नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है।

- I. सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल को राज्य अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर क्रियाशील व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा को नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में गुणवत्ता की जाँचोपरान्त प्राप्त कराया जाएगा।
- II. रबी विपणन मौसम, 2025-26 में गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राज्य के चिन्हित प्रखंडों के निर्धारित स्थलों पर क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- III. भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा को भारतीय खाद्य निगम के चिन्हित गोदामों में गुणवत्ता की जाँचोपरान्त जमा किया जायेगा।
- IV. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत पैक्स एवं व्यापार मंडलों के स्तर से क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा की गुणवत्ता जाँच बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अपने अधीनस्थ कार्यरत गुण नियंत्रकों से कराकर गेहूँ संग्रहण केन्द्र में रखेगा तथा उक्त गेहूँ का उपयोग विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था (DCP) अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के विरुद्ध लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत किया जायेगा।
- V. केन्द्रीय एजेंसी द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की गुणवत्ता जाँच भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत गुणवत्ता नियंत्रक से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता के जाँचोपरान्त उक्त गेहूँ की मात्रा को भारतीय खाद्य निगम अपने चिन्हित गोदामों में जमा कराया जायेगा।



- VI. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 7(4)/2024-Py.I दिनांक 25.10.2024 के द्वारा रबी विपणन मौसम, 2025-26 के अंतर्गत गेहूँ का निर्धारित समर्थन मूल्य निम्नवत् है :-

खाद्यान्न/सामग्री	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूपये प्रति क्वी०)
गेहूँ	2425.00

3. रबी विपणन मौसम, 2025-26 के अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक -01.04.2025 से 15.06.2025 तक के लिए प्रभावी होगा।
4. यह अधिसूचना रबी विपणन मौसम, 2025-26 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2025 से 15.06.2025 तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० एन० सरवण कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०10- र०वि०अधि० -08/2024 420 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/03/2025
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना-7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक - दो हार्ड प्रति एवं एक सी०डी०

प्रधान सचिव।

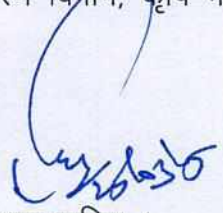
ज्ञापांक -प्र०10- र०वि०अधि० -08/2024- 420 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/03/2025
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति/मुख्य महाप्रबंधक, वित्त, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

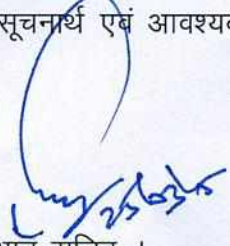
ज्ञापांक -प्र०10/र०वि०अधि०-08/2024- 420 / खाद्य, पटना/दिनांक- 25/03/2025
प्रतिलिपि - सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

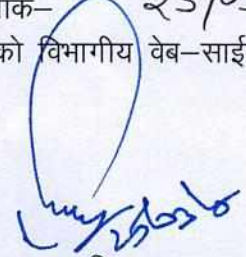
ज्ञापांक - प्र010/र0वि0अधि0-08/2024- 420 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/03/2025
प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन,
नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र010/र0वि0अधि0-08/2024- 420 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/03/2025
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव कोषांग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र010/र0वि0अधि0-08/2024- 420 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/03/2025
प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साइट
पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

✓